उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 02.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 01.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह कां0 सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रामकिशोर राजपूत पुत्र चतुर्भुज उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बछेछरकला थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 22 अदद क्वार्टर झूम देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए को ग्राम बछेछरकला थाना अजनर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थामीय पर मु0अ0सं0 142/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य
2. कां0 सौरभ सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकिशोर राजपूत पुत्र चतुर्भुज उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बछेछरकला थाना अजनर जनपद महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 01.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित उ0नि0 ऋषी शुक्ला मय हमराह कां0 भरत सिंह व कां0 प्रताप विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पुरवा पनवाड़ी के पास सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.गोकुल प्रसाद पुत्र किशोरा उम्र करीब 60 वर्ष 2.राजू पाल पुत्र सुखलाल पाल उम्र करीब 25 वर्ष 3.हरिश्चन्द्र अहिरवार पुत्र बृजकिशोर उम्र करीब 23 वर्ष 4.महेश चन्द्र पुत्र भगवानदास राजपूत उम्र करीब 57 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से जामा तलाशी के 600 रुपये, मालफड़ 1650 रुपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/2025 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
2. का0 भरत सिंह 3. का0 प्रताप विक्रम सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.गोकुल प्रसाद पुत्र किशोरा उम्र करीब 60 वर्ष नि0 ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा

2.राजू पाल पुत्र सुखलाल पाल उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा

3.हरिश्चन्द्र अहिरवार पुत्र बृजकिशोर उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा

4.महेश चन्द्र पुत्र भगवानदास राजपूत उम्र करीब 57 वर्ष नि0 ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक-02.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों क्रमशः 1.प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा संबंधित केस नं0 25/2017 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आ0 व0 अधि0) हमीरपुर 2.कैलाश राजपूत पुत्र बलवान सिंह राजपूत उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम कुड़ार थाना खरेला जनपद महोबा संबंधित केस नं0 126/18 धारा-3/5/25 ए एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा में मा0 न्यायालय जे0एम चरखारी महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को थाना क्षेत्र के क्रमशः ग्राम बल्लायं व ग्राम कुड़ार के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी
2. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
3. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा

गिरफ्तार अभियुक्त–

1.प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बल्लां थाना खरेला जनपद महोबा

2.कैलाश राजपूत पुत्र बलवान सिंह राजपूत उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम कुड़ार थाना खरेला जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सड़क सुरक्षा की दिशा में महोबा पुलिस की एक और ठोस पहल, स्पीड राडार गन से हो रही तेज रफ्तार पर कार्रवाई...।

बढ़ते सड़क हादसों के पीछे तेज गति से वाहन चलाने की बात सामने आती है, ऐसी सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने एवं रास्तों में वाहनों की स्पीड कम करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से जनपद महोबा में यातायात प्रभारी महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातयात पुलिस टीम द्वारा दुर्घटना बाहुल्य स्पॉट को चिन्हित कर सड़क पर स्पीड रडार गन लगाकर वाहनों की गति को मापा गया है, साथ ही ओवर स्पीड में फर्राटा भर रहे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार ई-चालान की कार्यवाही की गयी है।

यातायात पुलिस टीम द्वारा कानपुर-सागर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से स्पीड राडार गन के माध्यम से वाहनों की गति का मापन किया गया। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार से चलने वाले 12 वाहनों के विरुद्ध ओवर स्पीडिंग में चालान की कार्यवाही की गई है। यह अभियान सड़क पर अनुशासित यातायात व्यवस्था कायम करने की दिशा में एक तकनीकी पहल है।

गौरतलब है कि तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही से पूर्व यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद महोबा के प्रमुख मार्गों एवं राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण कर वहाँ स्पीड लिमिट संकेतक साइनेज बोर्ड लगाए गए थे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"नौनिहालों की सुरक्षा सर्वोपरि" नए शैक्षणिक सत्र के साथ स्कूली वाहनों की हुई चेकिंग, दिए गए आवश्यक निर्देश –

आज दिनांक- 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा मय यातायात पुलिस टीम के साथ स्कूली वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान स्कूली बसों, वैन एवं अन्य वाहनों में स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की फिटनेस, वैध परमिट, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी गेट, सिटिंग कैपेसिटी आदि की गहन जांच की गई।

कई वाहनों में सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों एवं विद्यालय प्रबंधनों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

वाहन चालकों को भी निर्देशित किया गया कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन न चलाएं, वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाएं तथा वाहन में उचित रूप से सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

पुलिस विभाग का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सभी विद्यालयों एवं अभिभावकों को यह संदेश देना है कि सुरक्षा में लापरवाही न बरतें...।

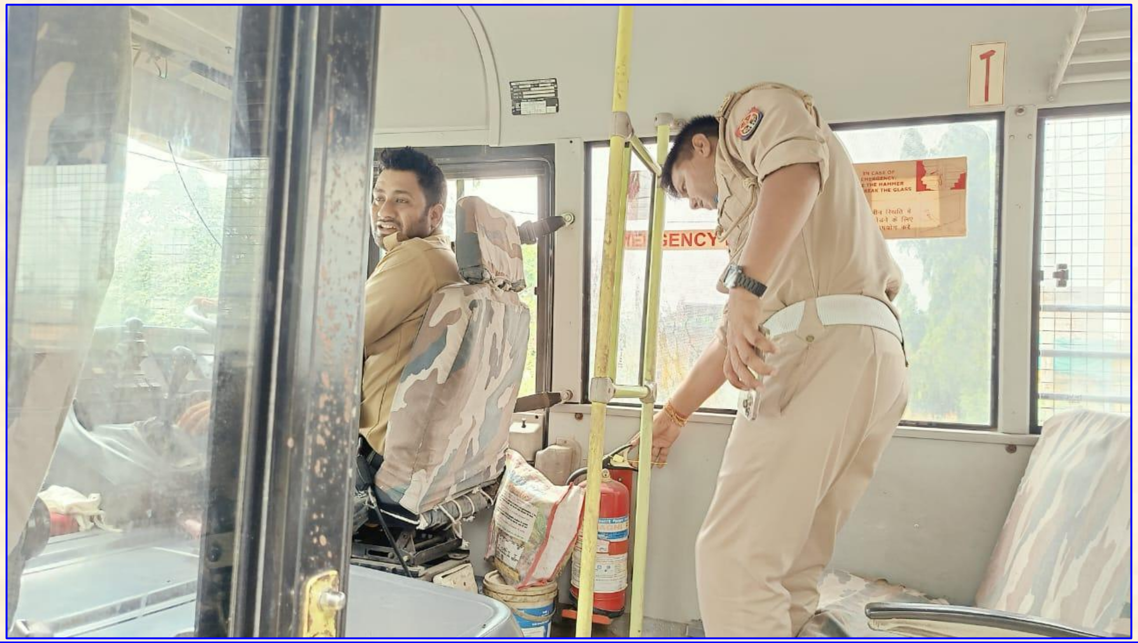

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपी 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जेएम कार्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा मारपीट एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने से सम्बन्धित आरोपी 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 18/2009 धारा- 323/427 भादवि से सम्बंधित आरोपी 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.अनूप पुत्र रमेश चन्द्र 2.रमेश चन्द्र पुत्र किशोरी लाल नि.गण स्टेट बैंक के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट एवं गालीगलौज की घटना कारित करने वाले आरोपी 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जेएम कार्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा मारपीट एवं गालीगलौज से सम्बन्धित आरोपी 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2009 धारा- 323/504 भादवि से सम्बंधित आरोपी 02 अभियुक्तों क्रमश: 1.अनूप पुत्र रमेश चन्द्र 2.रमेश चन्द्र पुत्र किशोरी लाल नि.गण स्टेट बैंक के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने 25-25 हजार के ईनामिया गैंगस्टर एक्ट के 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे ईनामिया, पुरस्कार घोषित व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 02.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के द्वारा वाँछित की तलाश, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 280/25 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25-25 हजार के इनामिया/पुरस्कार घोषित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. राजेश पुत्र गड्डवा ढीमर उम्र करीब 35 वर्ष 2. अंकित पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सोनी को करिया पठवा पहाड़ मोड़ बिलवई जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र.नि. अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2.अपराध निरीक्षक यशवन्त सिंह,
3. हे0कां0 प्रदीप कुमार 4. कां0 अवनेश कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1.राजेश ढीमर पुत्र गड्डवा ढीमर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर महोबा

अपराधिक इतिहास- 1.मु0अ0सं0 40/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा 2. 58/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली नगर महोबा

2.अंकित सोनी पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सोनी उम्र करीब 34 वर्ष निवासी फतेहरपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला महोबा हाल पता झरियादाई मन्दिर के पास हमीरपुर चुंगी थाना कोतवाली नगर महोबा

अपराधिक इतिहास- 1.मु0अ0सं0 40/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 52/2021 धारा 386/506 भादवि 3. 65/2021 धारा 306 भादवि
4.71/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
5.75/2021धारा 147/148/120बी/365/406/419/420/467/468/471/323/506 भादवि
6. 2824/2012 धारा 8/20 एनडीपीएस 7. 2322/2012 धारा 302/201 भादवि
8. 2322/2012 धारा 302/201 भादवि 9. 1583/2010 धारा 401 भादवि
10. 1584/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा

@MahobaPolice

महोबा पुलिस

- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर आगामी त्यौहार मोहर्रम के दृष्टिगत थाना चरखारी क्षेत्र में निकलने वाले दुलदुल (घोड़ा) जुलूस के मार्गो का किया गया निरीक्षण
- जुलूस को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक निर्देश ।
- पैदल गस्त के दौरान जुलूस कमेटी के सदस्यों, आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा आगामी पर्व मोहर्रम के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु आज दिनांक 02.07.2025 को थाना चरखारी क्षेत्र में संवेदनशील, मिश्रित एंव घनी आबादी वाले स्थानों पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर आगामी त्यौहार मोहर्रम पर निकलने वाले दुलदुल (घोड़ा) जुलूस के प्रस्तावित मार्गो का निरीक्षण किया गया तथा जूलूस को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आयोजन स्थल व जुलूस के मार्गो पर व्यापक पुलिस प्रबंधन करते हुये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तत्पश्चात पैदल गस्त के दौरान जुलूस कमेटी के सदस्यों, आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

इसी क्रम में थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग करायी गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम कोर्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 382/2011 धारा- 353 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त देशराज पुत्र चुन्नीलाल निवासी कस्बा गोविन्द नगर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

जान से मारने की धमकी देने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जे.एम कोर्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी 03 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 883/2013 धारा- 506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त क्रमशः 1. मुन्ना पुत्र लाल दीवान 2. गोविन्दा पुत्र चरनदास 3. रतन पुत्र खुमान निवासीगण ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम. चरखारी महोबा द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत अभियोग क्रमशः मु0अ0सं0 667/2005 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग में नामित अभियुक्त पप्पू उर्फ राजेश कुमार पुत्र शारदा प्रसाद उर्फ लुक्की खटिक निवासी इन्द्रानगर थाना कबरई जनपद महोबा को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

आ0. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा

@MahobaPolice

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए दुर्घटना करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- हजार रु. के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे0एम0 कोर्ट चरखारी महोबा द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 269/2009 धारा- 279/337/338 भादवि से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त इन्द्रभान पुत्र रामरतन सिंह निवासी टैमसी थाना जाफर गंज जनपद फतेहपुर ।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

आ0. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा